कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत गोमती का पदस्थापन आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नियुक्ति/आरपीएससी–15/2017 दिनांक 16.06.2017 द्वारा राउमावि बाना, श्रीडूंगरगढ–बीकानेर में काउंसलिग से किया गया था।

गोमती के द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नियुक्ति/ आरपीएससी–15/2017 दिनांक 16.06.2017 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 19866/2017 दायर की गई। जिसमे याची ने गुहार की कि मेरा मेरिट कमांक 26 है और मरी प्राथमिकता छात्रा संस्थान का था । जो मुझे नही मिला अतः मेरा पदस्थापन स्थान संशोधन किया जाय । जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पारित निर्णय दिनांक 07.11.17 द्वारा याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण का निर्देश दिया। याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में स्पष्ट है कि याचीकार्थी द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शित रिक्त पदो में से स्वैच्छा से काउंसलिग के माध्यम से पदस्थापन लिया है। याची का प्रकरण अंजु मीणा के प्रकरण से भिन्न है । याची को उनकी काउसंलिग की वरीयतानुसार पदस्थापन स्थान चयन के लिये समुचित अवसर दिया गया ।

अतः याची गोमती द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबधित सूचित हों ।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/कोर्ट केस/गोमती/2017 दिनांक– 21.12.17

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

1. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत मनोज कुमार का पदस्थापन आदेशक्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नियुक्ति/आरपीएससी–15/2017 दिनांक 19.06.2017 द्वारा राउमावि निम्बड़ी– नागौर में काउंसलिग से किया गया था।

मनोज कुमार के द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नियुक्ति/आरपीएससी–15/ 2017 दिनांक 19.06.2017 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 20882/ 2017 दायर की गई। जिसमे याची ने गुहार की कि मेरा मेरिट कमांक 52 है परन्तु इसके बावजूद भी मुझे पदस्थापन गृह जिला झुंझूनू में नही मिला । मुझे गृह जिले में पदस्थापित किया जाये । जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पारित निर्णय दिनांक 17.11.17 द्वारा याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण का निर्देश दिया। याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में स्पष्ट है कि याचीकार्थी द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान स्वैच्छा से काउंसलिग के माध्यम से पदस्थापन लिया है। याची का प्रकरण शिव प्रसाद नमिवाल व मोनिका मिल से भिन्न है ।

याची मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबधित सूचित हो ।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/कोर्ट केस/मनोज कुमार/2017 — दिनांक–21-12-17

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

1. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर